सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 60/15

फूसाराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई सुथार निवासी 5 सी छोटी श्रीगंगानगर।

अपीलांटस

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 506 दिनांक 4–8–15

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक: 23–5–16**

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि रणसिंह आदि के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व, श्री गंगानगर में एक प्रार्थना पत्र धारा 251(क) अपीलांट तथा स्व0 भागो के खिलाफ पेश करते हुए चक 5 सी छोटी के मु0 नं0 32 के कि0 नं0 21 ता 25 में से एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की मॉग की गई थी, जिसपर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण सं0 147/12 का निर्णय दिनांक 24–7–15 को करते हुए गलत तौर से रास्ता प्रस्तावित स्वीकृत करने का आदेश दिया गया, जिसके खिलाफ अपीलान्ट तथा स्व0 भागो के वारिसान द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर में दिनांक 30–7–15 को पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 3–8–15 को करते हुए मामला रिमाण्ड किया गया। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4–8–15 को उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 24–7–15 के आधार पर जेरअपील इंतकाल तस्दीक कर दिया गया जबकि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 3–8–15 निरस्त हो चुका था। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व अपीलांट तथा स्व0 भागो के वारिसान को को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। वर्तमान में मामला उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाधीन इंतकाल से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4–8–15 को उपखण्ड

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 24–7–15 के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 24–7–15 मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 3–8–15 से निरस्त हो चुका है। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व अपीलांट तथा स्व0 भागो के वारिसान को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। वर्तमान में मामला उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन इंतकाल उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 24–7–15 के आधार पर खोला जाकर दिनांक 4–8–15 को स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 3–8–15 से निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 24–7–15 का आदेश अस्तित्व में नहीं रहा है। अतः पूर्व की स्थिति बहाल होने योग्य होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 506 उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 24–7–15 से खोला जाकर दिनांक 4–8–15 को स्वीकृत किया गया है। मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील सं0 163/15 फूसाराम बनाम स्टेट में दिनांक 3–8–15 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का आदेश दिनांक 24–7–15 अपास्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया है, जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जिस आदेश के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया था, वह मूल आदेश अपास्त हो चुका है। इस प्रकार आदेश दिनांक 24–7–15 अस्तित्व में नहीं होने से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 506 दिनांक 4–8–15 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23–5–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल) 23/5/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)